पत्रांक :– 3/यो.01–16/2022 (उ0शि0) ..../

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

के0 के0 खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक ..../

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य विश्वविद्यालय एवं इनके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों की नैक प्रर्त्यापन (NACC Acereditation) एवं शोध कार्यों को बढ़वा देने के उद्देश्य से प्रति विश्वविद्यालय को रू0 1,00,00,000/– (एक करोड़ रूपये) मात्र की दर से कुल 04 विश्वविद्यालय यथा– डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची, राँची विश्वविद्यालय, राँची, सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका एवं कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को कुल राशि रू0 4,00,00,000/– (चार करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश– स्वीकृत ।

राज्य के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता एवं वर्तमान संसाधनों के आकलन हेतु सभी राज्य विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों की नैक प्रर्त्यापन (NACC Acereditation) सुनिश्चित करने तथा इसमें उच्च श्रेणी (Higher Grade) प्राप्त करने, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में उच्च वरीयता प्राप्त करने हेतु संस्थानों के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की स्थापना एवं शोध कार्यों में इच्छुक शिक्षकों को क्षमता संवर्द्धन के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने हेतु राशि का प्रावधान किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BL-विश्वविद्यालयों को सहायता, 01–नैक प्रत्यायन, अनुसंधान एवं परिमार्जन केन्द्र लघुशीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 12.00 करोड़ (बारह करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 8.00 करोड़ (आठ करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 20.00 करोड़ का बजट उपबंध प्राप्त है।

3. वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य विश्वविद्यालय एवं इनके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों की नैक प्रत्यायन (NACC Acereditation) एवं शोध कार्यों को बढ़वा देने के उद्देश्य से प्रति विश्वविद्यालय को रू0 1,00,00,000/– (एक करोड़ रूपये) मात्र की दर से कुल 04 विश्वविद्यालय यथा– डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची, राँची विश्वविद्यालय, राँची, सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका एवं कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को कुल राशि रू0 4,00,00,000/– (चार करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है –

कमांक	विश्वविद्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
1	डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची।	1,00,00,000/–
2	राँची विश्वविद्यालय, राँची।	1,00,00,000/–
3	सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका ।	1,00,00,000/–
4	कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।	1,00,00,000/–
	कुल राशि –	4,00,00,000/–

4. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2022–23 के राज्य स्कीम के निम्नांकित शीर्ष–

मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–BL– विश्वविद्यालयों को सहायता , 01– नैक प्रत्यायन, अनुसंधान एवं परिमार्जन केन्द्र, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड–21S220203796BL010679) (स्कीम कोड–2007) के अंतर्गत होगा।

5. वित विभाग के पत्रांक–3520, दिनांक 11.12.07 में प्रसंगाधीन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–301, दिनांक–11.03.2015 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश विभाग को प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

6. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
–	शून्य	शून्य

7. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, रॉंची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

9. संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत पी० एल० खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

10. राशि की विमुक्ति निम्न शर्त्तों के अधीन की जायेगी–

(क) विमुक्त राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

(ख) सभी संबंधित विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों को नैक प्रत्यापन (NACC Acereditation), राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में उच्च वरीयता प्राप्त करने हेतु संस्थानों के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की स्थापना एवं शोध कार्यों के लिए सहायता अनुदान के रूप में व्यय किया जायेगा।

(ग) झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

12. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

13. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

15. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 3/यो.01–16/2022 (उ०शि०) ..../रॉंची, दिनांक–......................../2022

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दुमका/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 3/यो.01–16/2022 (उ०शि०) 1241/उ०शि० /रॉंची, दिनांक– 28/07/2022

प्रतिलिपि –निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रॉंची/ रॉंची विश्वविद्यालय, रॉंची/ सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/ कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा /अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

(1)

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

जारी करने वाली शाखा Issuing Branch: DORANDA (RANCHI)
कोड सं /CODE No: 00212
Tel No 0651-2482850

A/C Payee

मांगड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Key: NOHHEP
Sr. No: 130149

0	3	0	9	2	0	2	2
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

मांगे जानेपर REGISTRAR SKMU *** या उनके आदेश पर
ON DEMAND PAY OR ORDER

रुपये **RUPEES** One Crore Only

अदा करें ₹ 10000000.00

IOI 000544533520 Key: NOHHEP Sr. No: 130149 AMOUNT BELOW 10000001(0/8) मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

Name of Applicant By Charges

[redacted]

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: DUMKA
कोड क्र. /CODE No: 00073

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

9 8 7 6 5 4 3 2 1

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

SESHAASAI(D) / CTS-2010

⑈533520⑈ 000002000⑆ 000544⑈ 16